2019/00048

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 01/2019 (रसद अपील)

राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री घीसाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी केयर ऑफ महेश शर्मा प्लाट नं. 78, **खादी भण्डार** के समाने, आमेर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 04.04.2018 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 404/2017

उपस्थित :–

1. श्री गोविन्द नारायण शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. .पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11-11-2019

1. **संक्षेप में** अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को रसद विभाग द्वारा एक उचित मूल्य दुकान **संख्या 705** आवंटित की हुई है अपीलार्थी द्वारा काफी लम्बे समय से उक्त दुकान का कुशलता पूर्वक संचालन किया जा रहा था व नियमानुसार निश्चित समय पर अपीलार्थी द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा था। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा माह सितम्बर 2017 में उठाव व उपभोक्ता सप्ताह में खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किये जाने के कारण **अपीलार्थी** के विरूद्व प्रकरण संख्या 404/2017 दिनांक 25.09.2017 दर्ज करते हुये नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा नियत समायावधि में जबाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जबाब बन्द कर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त करने बाबत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का अपीलार्थी द्वारा तामील होने के पश्चात भी जबाब प्रस्तत नहीं किया गया। उस कारण प्राधिकार पत्र निरस्त का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी माह सितम्बर में सीढ़ियों से गिर गया था जिस कारण कमर में भयंकर चोट आई जिस कारण वह चलने फिरने उठने बैठने में असमर्थ हो गया। अपीलार्थी लम्बे समय तक बैड रेस्ट पर था जिससे अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही जिला रसद अधिकारी से प्राप्त नोटिस का जबाब प्रस्तुत कर सका। अपीलार्थी जैसे हो चलने फिरने में समर्थ हुआ। तब जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तो अपीलार्थी को पता चला कि जिला रसद अधिकारी द्वारा 4.4.2018 को आदेश पारित करते हुये प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात ही कोई आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है लेकिन उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा प्रार्थी को बिना

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार था। इस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की उक्त गलती जानबूझ कर ना हो कर परिस्थितिवश हुई है जिसको न्यायहित में क्षमा किया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थी को नाटिस जारी किया गया तहत रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी माह सितम्बर में सीढियों से गिर गया था जिस कारण उसके कमर में भयंकर चोट आई जिस कारण वह चलने फिरने व उठने बैठने में असमर्थ हो गया। प्रार्थी लम्बे समय तक बैड रेस्ट पर था जिससे अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही जिला रसद अधिकारी से प्राप्त नोटिसों का जबाब प्रस्तुत कर सका। अपीलार्थी जैसे ही चलने फिरने में समर्थ हुआ। तब जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तो अपीलार्थी को पता चला कि कि जिला रसद अधिकारी द्वारा 4.4.2018 को आदेश पारित करते हुये प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात ही कोई आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है लेकिन उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा प्रार्थी को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार था। इस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की उक्त गलती जानबूझ कर ना हो कर परिस्थितिवश हुई है जिसको न्यायहित में क्षमा किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जावे जिससे अपीलार्थी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें । चूंकि अपीलार्थी परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। यदि अपीलाधीन आदेश को अपास्त नहीं किया गया तो अपीलार्थी का परिवार को भूखे मरने की नोबत आजायेगी। अपीलार्थी श्रीमान को विश्वास दिलाता है कि भविष्य में विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों व निर्देशों का पालना करता रहेगा व नियमित रूप ये खाद्य सामग्री का वितरण करता रहेगा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.04.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र एवं जब्त धरोहर राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी द्वारा माह सितम्बर 2017 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आवंटित गेहूं का उठाव व उपभोक्ता सप्ताह में खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी के विरूद्व प्रकरण संख्या 404/2017 दिनांक 25.09.2017 दर्ज करते हुये नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा नेयत समायावधि में जबाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जबाब बन्द कर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त करने बाबत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का अपीलार्थी द्वारा तामील होने के पश्चात भी जबाब प्रस्तत नहीं किया गया। इस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये का अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत व उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे!

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एव उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर माह सितम्बर 2017 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आवंटित गेहूं का उठाव व उपभोक्ता सप्ताह में खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किये जाने का अरोप है। जिसके लिए जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का अपीलार्थी द्वारा जबाब नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आरोप एवं नोटिस का जबाब नहीं दिये जाने का कारण जुलाई 2017 में अपीलार्थी का सीढ़ियो से गिर जाने पर कमर में भयंकर चोट आना, जिससे चलने फिरने में असमर्थ हो जाना बताया है। इसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं पाई गई है। अपीलार्थी के साथ परिस्थिति वश ऐसा होना पाया गया है। अपीलार्थी पर किसी अनियमितता या कालाबाजारी का आरोप नहीं है। हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.04.2018 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुना गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर